माननीय न्यायमूर्ति रामेश्वर सिंह मलिक के समक्ष।

नरेश कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

हरयाना राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.आर.एल. 2012 का संशोधित क्रमांक 2421

28 अगस्त 2012

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 401 - पुनरीक्षण का दायरा- शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन दायर किया। अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने के लिए - सत्र न्यायाधीश ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि उत्तरदाताओं के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए न तो पर्याप्त सामग्री थी और न ही कोई बाध्यकारी कारण मौजूद था - पुनरीक्षण दायर किया गया - माना गया - पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सीमित है - केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब पेटेंट अवैधता या विकृति हो - सेशन जज का आदेश बरकरार.

अभिनिर्धारित किया गया कि इस न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सीमित है। इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब विवादित आदेश पेटेंट अवैधता या विकृति से ग्रस्त हो। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विवादित आदेश किसी पेटेंट अवैधता से ग्रस्त नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है जो इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे में आ सकता है। इसके अलावा, कोई भी पूर्वाग्रह, उससे भी कम गंभीर पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया है जो याचिकाकर्ता के कारण हो सकता है। चूँकि इस न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सीमित है और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई अवैधता नहीं बताई गई है, वर्तमान पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

(पैरा 18)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा।

रामेश्वर सिंह मलिक, जे. (मौखिक)

2012 का सीआरएम नंबर 48299

(1) सभी अपवादों के अधीन आवेदन की अनुमति है।

(2) आपराधिक आवेदन का निपटारा किया जाता है।

2012 का सीआरएम नंबर 48300

(3) आवेदक ने पुनरीक्षण याचिका दायर करने में 5 दिन की देरी की माफी मांगी है।

(4) आवेदक के विद्वान वकील को सुनने के बाद, उसमें बताए गए कारणों के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है और पुनरीक्षण दाखिल करने में 5 दिनों की देरी को माफ किया जाता है।

(5) आवेदन की अनुमति है.

2012 का सीआरआर नंबर 2421

(6) त्वरित आपराधिक पुनरीक्षण विद्वान सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा पारित दिनांक 12.05.2012 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित किया गया है, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसमें उत्तरदाताओं संख्या 2 से 4 को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में सम्मन को अस्वीकार कर दिया गया है।

(7) तथ्य। मामले की विस्तृत तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से रहित, तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में शामिल संक्षिप्त मुद्दे के निपटारे के लिए पर्याप्त प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302/34 के तहत पुलिस स्टेशन पूंडरी, जिला कैथल में दर्ज एफआईआर संख्या 171 दिनांक 04.07.2011 से उत्पन्न आपराधिक मुकदमे के दौरान, धारा 319 के तहत एक आवेदन प्रतिवादी नंबर 2 (बलिंदर), 3 (नरिंदर) और 4 (श्रीमती रोशनी देवी) को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए सीआरपीसी को विद्वान सत्र न्यायाधीश, कैथल के समक्ष पेश किया गया था।

(8) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उत्तरदाताओं संख्या 2 से 4 के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए न तो पर्याप्त सामग्री थी और न ही कोई बाध्यकारी कारण मौजूद था। तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन को दिनांक 12.05.2012 के आदेश-अनुलग्नक पी-2 द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(9) दिनांक 12.05.2012 के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस प्रकार,

यह न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट मामले के रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री की सराहना करने में बुरी तरह विफल रहा है, जो कि निजी उत्तरदाताओं नंबर 2 से 4 को बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थी। अतिरिक्त आरोपी. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था, इसलिए लागू आदेश के परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इस प्रकार, उन्होंने विवादित आदेश को रद्द करने और पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

(10) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(11) उठाए गए तर्कों पर मेरे विचारशील विचार करने के बाद और वर्तमान मामले की विशिष्ट तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि वर्तमान मामला इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। मैं ऐसा एक से अधिक कारणों से कह रहा हूं, जिसे यहां आगे दर्ज किया जा रहा है।

(12) इस न्यायालय के विचारार्थ उठने वाले कानून के दोहरे प्रश्न हैं;

(i) क्या विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करते हुए, दिनांक 12.05.2012 के आदेश के तहत निजी उत्तरदाताओं नंबर 2 से 4 को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने से इनकार करते हुए कोई पेटेंट अवैधता की है?

(ii) सीआरपीसी की धारा 401 के तहत इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का दायरा क्या है और क्या तत्काल मामले में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

(13). पहले प्रश्न को सबसे पहले लेते हुए, इस न्यायालय ने आक्षेपित आदेश और मामले के रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री की आलोचनात्मक जांच की। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि आक्षेपित आदेश किसी पेटेंट अवैधता या विकृति से ग्रस्त नहीं है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का सही ढंग से पालन करते हुए ठोस कारण बताते हुए तथ्यात्मक रूप से सही और कानूनी रूप से उचित दृष्टिकोण पर

कार्यवाही करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है।यह रिकॉर्ड की बात है कि मामला याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान (एक्स. पीसी) पर दर्ज किया गया था। हालाँकि, जब शिकायतकर्ता से पीडब्लू-3 के रूप में अदालत में पूछताछ की गई, तो उसने अपने पहले के बयान (एक्स पीसी) के बिल्कुल विपरीत पूरी तरह से अलग संस्करण देते हुए पूरी तरह से पलटने की कोशिश की, ताकि निजी उत्तरदाताओं नंबर 2 को बुलाने की मांग की जा सके। सीआरपीसी की धारा 319 की सहायता से 4 को अतिरिक्त आरोपी के रूप में नियुक्त किया गया है। मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू की धारा 319 सीआरपीसी के दायरे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का जिक्र करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से सराहना की गई है। इस संबंध में तदनुसार, ऊपर पूछे गए पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। विद्वान सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर सही पहुंचे कि निजी उत्तरदाताओं संख्या 2 से 4 को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए न तो पर्याप्त सामग्री थी और न ही कोई बाध्यकारी कारण मौजूद थे।

(14) इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी और अन्य, गुरिया @ तहस्सुम तौकीर बनाम बिहार राज्य, कैलाश बनाम राजस्थान राज्य और अन्य और लाल सूरज @सूरज सिंह बनाम झारखंड राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से भी समर्थन मिलता है। । मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस न्यायालय के ध्यान में कोई पर्याप्त सामग्री नहीं लाई गई है, आक्षेपित आदेश किसी अवैधता से ग्रस्त नहीं पाया गया है।

(15) कानून का यह भी स्थापित प्रस्ताव है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने का आदेश देने से पहले, अदालत को अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी कि दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज करने की संभावना है। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति एक विशेष प्रावधान है जो एक असाधारण स्थिति से निपटने का प्रयास करती है, जिसका प्रयोग बहुत संयमित और सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित कानून के पहले प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिया गया है।

(16) जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, इस न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सीमित है। इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब विवादित आदेश पेटेंट अवैधता या विकृति से ग्रस्त हो। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विवादित आदेश किसी पेटेंट अवैधता से ग्रस्त नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है जो इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे में आ सकता है। इसके अलावा, कोई भी पूर्वाग्रह या गंभीर पूर्वाग्रह नहीं दिखाया

गया है जो याचिकाकर्ता के कारण हो सकता है। चूँकि इस न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सीमित है और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में आक्षेपित आदेश पारित करते समय कोई अवैधता नहीं बताई गई है, वर्तमान आदेश पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

(17) इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विमल सिंह बनाम खुमान सिंह और अन्य, शीतला प्रसाद और अन्य बनाम श्रीकांत और अन्य, आशीष चड्ढा बनाम श्रीमती आशा कुमारी के निर्णयों से भी समर्थन मिलता है।. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, इस न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सीमित है और इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जा सकता है। चूंकि यह तत्कालिक मामला उन असाधारण मामलों में से एक नहीं है, जिसमें इस न्यायालय के पुनरीक्षण कार्य में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो क्षेत्राधिकार, ऊपर दिए गए कानून के दूसरे प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

(18) वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह पाया गया कि पुनरीक्षण के तहत आदेश स्पष्ट अवैधता से ग्रस्त नहीं है । न तो यह पाया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और न ही यह दिखाया गया है कि सबूतों को नजरअंदाज कर कोई निष्कर्ष निकाला गया है । इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, यह निःसंकोच माना जाता है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका बिना किसी योग्यता के, बिना किसी सार के है और इसे विफल होना चाहिए।

(19) तदनुसार, तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को बर्खास्त किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीत कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
झज्जर, हरियाणा